न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर
रसद प्रार्थना पत्र संख्या 18/2019

राजस्थान सरकार जरिये श्री रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर।

........प्रार्थी

बनाम

श्री अकलीम पुत्र श्री लल्ला भाई, कायड विश्राम स्थली, अजमेर, निवासी मीरगंज, रामपुर, पिन 243504, उत्तरप्रदेश।

.......अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थितः श्रीमती भावना दयाल, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 06.11.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 12.03.2019 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (प्रथम) के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डर के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग/घरेलू सिलेण्डर के अवैध रूप से गैस रिफिलिंग को रोकने के अभियान के तहत प्रार्थी मय संयुक्त जांच दल द्वारा अप्रार्थी के कायड विश्राम स्थली स्थित व्यवसाय स्थल की जांच करने पर अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर द्वारा भोजन बनाकर विक्रय किया जा रहा था। अप्रार्थी को, मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग करते पाये जाने पर मौके से दो घरेलू गैस सिलेण्डर

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	831282	INDANE	15.9kg	27.3kg	11.4kg	Domestic
2	अंकित नही	अंकित नही	1kg	1.5kg	500gm	Domestic

को कब्जेराज लिया गया। वक्त जांच अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपने निवास का पूर्ण पता आदि बाबत् होने से इन्कार किया गया। चूंकि घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में दुरूपयोग एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है। अतः उपरोक्त घरेलू गैस सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर कुश गैस ऐजेन्सी के कार्मिक श्री रामसिंह पुत्र श्री शिवसिंह, निवासी शाही ज्योति कॉलोनी, कायड रोड, अजमेर को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिली प्राप्त नही हुआ। अप्रार्थी के मीरगंज, रामपुर, उत्तरप्रदेश के पत्ते पर तामीली हेतु सम्बंधित पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस भी प्रेषित किया गया जो

न्यायालय जिला कलक्टर

Sharma

जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

बाद तामीली प्राप्त नही हुए। उपस्थित पैरोकार सरकार से अप्रार्थी के पूर्ण पत्ते की जानकारी चाही गई। इस पर उपस्थित पैरोकार सरकार ने असमर्थता व्यक्त करते हुए निवेदन किया कि दरगाह मेला दौरान अप्रार्थी द्वारा अस्थाई रूप से कायड विश्राम स्थली में स्टॉल लगाई गई थी, जो मेले पश्चात् हटा ली गई। वक्त जांच भी अप्रार्थी द्वारा पहचान सम्बन्धी जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराने से इन्कार किया गया। अतः प्रकरण का एक पक्षीय निस्तारण किया जावें। सुनवाई चाहने पर उपस्थित पैरोकार सरकार को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 12.03.2019 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा कायड विश्राम स्थली स्थित अपने अस्थाई व्यवसाय स्थल (स्टॉल) पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये दो घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावें।

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वक्त जांच अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 12.03.2019 के खण्डन बाबत् अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने के तथ्य भी प्रकट नही है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये उक्त दो घरेलू गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

V.M. Sharma

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner